UPMP010008072026

न्यायालय SC/ST (P.A) act, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –**

UP06134

प्रार्थना पत्र संख्या–10/2026

श्री कृष्ण.....बनाम.....लेखपाल आदि

दिनांक– 20.04.2026

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस पेश हुआ।

आवेदक की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसका मौजा जमथरी में गाटा संख्या. 1442/2/0.6560 हे० में से रकवा 0.616 हे० गैर कृषि प्रयोजन हेतु आबादी जमीन नाम में दर्ज है। जिस पर उसका कब्जा है तथा उसने अपनी जमीन पर मकान निर्माण करने के लिये नींव आदि खोदकर शुरूआत कर दी जिस पर गांव के लेखपाल पुत्र झम्मन लाल, विकास पुत्र रामनाथ, रामप्रसाद शाक्य पुत्र नत्थू लाल व अन्य दिनांक 23.12.2025 को समय शाम 5 बजे उक्त निर्माणाधीन जगह पर आये और प्रार्थी व उसके पुत्र विमल कुमार को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुये सामूहिक रूप से उसके बेटे की पिटाई की तथा कहा कि उक्त जगह हम लोगों को बिक्री कर दो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना हाजा से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण जमीन की रंजिश के बावत होना बताया गया है तथा विपक्षी द्वारा आवेदक की उक्त जमीन को रोड पर न होना बताते हुये उनके द्वारा फर्जी हरिजन एक्ट की धमकी देना बताया गया है तथा मौके पर मारपीट व गाली गलौज से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना हाजा पर उक्त प्रकरण से संबंधित कोई मुकदमा पंजीकृत न होना बताया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) दं.प्र.सं., शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को प्रेषित प्रार्थना पत्र, थाने से प्रस्तुत आख्या व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का सादर अवलोकन किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना हाजा पर घटना के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है अपितु उभय पक्षों मे विवाद होने के कारण शांति व्यवस्था भंग होने से बचाने के लिये धारा 135 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही थाना हाजा से की गयी है। आवेदक द्वारा विपक्षी लेखपाल, विकास व रामप्रसाद द्वारा एक राय होकर जातिसूचक गाली गलौज देने तथा मारपीट करने का कथन किया गया है। चोटो के संबंध में कोई चिकित्सीय आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा चोट की प्रकृति अथवा वे शरीर

के किस भाग पर कारित हुयी है, इसका भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर चोटो के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध बनता नहीं पाया जाता है। जहां तक आवेदक द्वारा जाति सूचक गालियाँ देने व अपमानित करने का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक के कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विपक्षीगण द्वारा उक्त शब्दों का प्रयोग आवेदक को विशेष रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था अथवा वे सामान्य कथन मात्र थे। अत: मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस तदानुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अच्छे लाल सरोज)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट,मैनपुरी।

ACHCHHE LAL SAROJ
Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.04.21 13:08:38 +0530